प्रेस नोट

दिनांक 08.07.2024

थाना कौड़िया पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार,

जनपद गोण्डा में अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु श्री विनीत जायसवाल, पुलिस अधीक्षक गोण्डा के द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री चन्द्रपाल शर्मा के नेतृत्व में थाना कौड़िया पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0- 81/2024 धारा 307, 323, 506 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त कृष्ण भगवान पुत्र रामकिशोर निवासी ग्राम बसभरिया थाना कौड़िया जनपद गोण्डा को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी दुर्गा प्रसाद पुत्र स्व0सतीश चन्द्र दूबे निवासी ग्राम बसभरिया थाना कौड़िया जनपद गोण्डा द्वारा थाना कौड़िया में लिखित सूचना दी गयी कि दिनांक 25.03.2024 को विपक्षीगण द्वारा वादी व उसके लड़के को पुरानी रंजिश को लेकर जान से मारने की नियत से धारदार कुदाल से मारे पीटे है, प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कौड़िया में मु0अ0स0- 81/2024 धारा 307, 323, 506 भादवि बनाम कृष्ण भगवान आदि 03 नफर अभियुक्तों के विरूद्ध नामजद अभियोग पंजीकृत किया गया था आज दिनांक 08.07.2024 को नामजद अभियुक्त कृष्ण भगवान पुत्र रामकिशोर निवासी ग्राम बसभरिया थाना कौड़िया जनपद गोण्डा को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कौड़िया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. कृष्ण भगवान पुत्र रामकिशोर निवासी ग्राम बसभरिया थाना कौड़िया जनपद गोण्डा। ।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0- 81/2024 धारा 307, 323, 506 भादवि थाना कौडिया गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. उ0नि0 रामदेव
02. हे0का0 रमेश यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 08.07.2024, मानिटरिंग सेल

जनपद गोण्डा।

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से मादक पदार्थ तस्कर को हुई 02 वर्ष का सश्रम कारावास व रूपए 15,000/- के अर्थदण्ड की सजा-

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप मादक पदार्थ तस्कर को 02 वर्ष सश्रम कारावास व रु0 15,000/- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

दिनाकं 31.01.2021 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ के साथ अभियुक्त आसिफ पुत्र लुकमान निवासी तोपखाना थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता श्री अनुपम शुक्ला, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल श्रीधर पाठक, कोर्ट मोहर्रिर म0का0 नम्रता चौधरी व थाना कोतवली नगर के पैरोकार हे0का0 अशोक कुमार के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एन0डी0पी0एस0 एक्ट कोर्ट गोण्डा श्री सुर्यप्रकाश सिंह महोदय द्वारा 02 वर्ष सश्रम कारावास व रू 15,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियुक्त का नाम पता-

01. आसिफ पुत्र लुकमान निवासी तोपखाना थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-78/2021, धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।